न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या–493 सन् 2022

राज्य बनाम गोलू उर्फ करीम एवं अन्य

थाना–अहरौरा, जिला–मीरजापुर।

मु0अ0सं0–35 सन् 2022

<u>आरोप</u>

मैं रचना अरोड़ा, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मिर्जापुर आप अभियुक्तगण गोलू उर्फ करीम व जहांगीर को निम्न आरोपों से आरोपित करती हूँ–

1. यह कि दिनांक 24.01.2022 को समय लगभग 17.00 बजे वहद्स्थान वादी के घर के पास वहद्ग्राम खुटहॉ थाना अहरौरा जिला मीरजापुर में आप लोगों ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा, उसके लड़के शहजाद व पत्नी जरीना को लाठी–डण्डे से मारपीट कर साधारण चोटें पहुंचायी। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसके परिवार वालों को गाली–गुप्ता देकर अपमानित किया, जिससे लोक शान्ति भंग होने की सम्भावना थी। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दिया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
4. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा के लड़के शहजाद को लाठी–डण्डे से मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचायी, जिससे दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आप लोगों ने हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध का अपराध कारित किया है। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा

304 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को निर्देश देती हूँ कि उपरोक्त आरोप के लिए आप लोगों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक–27.01.2023

(रचना अरोड़ा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मॉग किया।

दिनांक–27.01.2023

(रचना अरोड़ा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या–493 सन् 2022

राज्य बनाम गोलू उर्फ करीम एवं अन्य

थाना–अहरौरा, जिला–मीरजापुर।

मु0अ0सं0–35 सन् 2022

<u>आरोप</u>

मैं रचना अरोड़ा, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मिर्जापुर आप अभियुक्तगण गुड्डू व इश्तियाक को निम्न आरोपों से आरोपित करती हूँ–

1. यह कि दिनांक 24.01.2022 को व दिनांक 01.02.2022 को वहद्स्थान वादी के घर के पास वहद्ग्राम खुटहॉ थाना अहरौरा जिला मीरजापुर में आप लोगों ने वादी मुकदमा व उसके परिवार वालों को गाली–गुप्ता देकर अपमानित किया, जिससे लोक शान्ति भंग होने की सम्भावना थी। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दिया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को निर्देश देती हूँ कि उपरोक्त आरोप के लिए आप लोगों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक–27.01.2023

(रचना अरोड़ा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मॉग किया।

दिनांक–27.01.2023

(रचना अरोड़ा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या–493 सन् 2022

राज्य बनाम गोलू उर्फ करीम एवं अन्य

थाना–अहरौरा, जिला–मीरजापुर।
मु0अ0सं0–35 सन् 2022

<u>दिनॉक–27.01.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण गोलू उर्फ करीम, जहांगीर, गुड्डू व इश्तियाक व्यक्तिगत रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित।

मैने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को आरोप सृजित किए जाने के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण गोलू उर्फ करीम व जहांगीर के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506, 304/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तथा अभियुक्तगण गुड्डू व इश्तियाक के विरूद्ध धारा 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण गोलू उर्फ करीम व जहांगीर के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506, 304/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तथा अभियुक्तगण गुड्डू व इश्तियाक के विरूद्ध धारा 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

अभियोजन साक्षी/प्राथमिकीकर्ता जरिए समन तलब हों। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 28.02.2023 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, मीरजापुर।